

विज्ञप्ति

नोटिस बाबत स्थायी लोक अदालत, एटा में सदस्यों के रिक्त पद हेतु

विधिक सेवा प्राधिकरण, अधिनियम के अन्तर्गत जन उपयोगी सेवाओं-यातायात सेवा, डाक तार व टेलीफोन सेवा, विद्युत प्रकाश व जलसेवा, लोक सफाई एवं स्वच्छता प्रणाली सेवा, अस्पताल व औषधालय सेवा, बीमा, शैक्षक व शैक्षणिक संस्थान सेवा व आवास और भू-सम्पदा सेवाओं के निस्तारणार्थ गठित स्थायी लोक अदालत हेतु जनपद, एटा में दो (2) सदस्य की नियुक्ति किया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिए निर्धारित प्रारूप पर आवेदन आमंत्रित है।


पदों की संख्या- 02

पात्रता- 1500/- रूपये प्रति बैठक तथा रूपये 5,000/- वाहन भत्ता प्रतिमाह।

नियुक्ति की अवधि:-


सदस्य नियुक्ति की दिनांक से 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा। आवेदक को स्वयं की दो नवीन पासपोर्ट साइज फोटो तथा दो डाक टिकट सहित स्वयं का पता अंकित लिफाफे आवेदन के साथ अनिवार्य रूप संलग्न करना होगा।

आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक-04-09-2022 को समय साय:5-00 बजे तक कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा में प्राप्त किये जायेंगे।


प्रभारी सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
जनपद एटा।

प्रतिलिपि:-

- 1- केन्द्रीय नाजिर जनपद न्यायालय एटा।
- 2- जिलाधिकारी, एटा।
- 3- सिस्टम आफिसर कम्प्यूटर अनुभाग जनपद न्यायालय एटा को उक्त विज्ञप्ति व आवेदन को प्रारूप माननीय उच्च न्यायालय व जनपद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 4- अध्यक्ष / सचिव, जिला अधिवक्ता संघ एटा को बार के नोटिस बोर्ड पर उक्त विज्ञप्ति को चस्पा कराये जाने हेतु प्रेषित।


प्रभारी सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
जनपद एटा।

